

संख्या 35 / 2026/854/सत्रह-म-2026-17-1099/55/2021

प्रेषक,

सुनील कुमार वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
मत्स्य विभाग
उत्तर प्रदेश लखनऊ

लखनऊ: दिनांक 09 जून, 2026

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

विषय- वित्तीय वर्ष 2026-27 में 30प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष के अन्तर्गत अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक, 2405- मछली पालन , 800- अन्य व्यय, 12-मत्स्य पालक कल्याण फण्ड, 42- अन्य व्यय में से 2405-मछली पालन, 800- अन्य व्यय, 13-मत्स्य पालक कल्याण कोष 42- अन्य व्यय में धनराशि ₹0 2500.00 लाख (₹0 पच्चीस करोड मात्र) का पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-301/नि०शा0/2026-27 दिनांक 11 मई, 2026 तथा उसके साथ उपलब्ध कराये गये बी०एम०-9 (भाग-1) प्रपत्र का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 में 30प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष के अन्तर्गत अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक, 2405- मछली पालन , 800- अन्य व्यय, 12-मत्स्य पालक कल्याण फण्ड, 42- अन्य व्यय से 2405-मछली पालन, 800- अन्य व्यय, 13-मत्स्य पालक कल्याण कोष 42- अन्य व्यय में धनराशि ₹0 2500.00 लाख (₹0 पच्चीस करोड मात्र) का पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति निर्गत कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में 30प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष के अन्तर्गत अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक, 2405- मछली पालन , 800- अन्य व्यय, 12-मत्स्य पालक कल्याण फण्ड, 42- अन्य व्यय में से 2405-मछली पालन, 800- अन्य व्यय, 13-मत्स्य पालक कल्याण कोष 42- अन्य व्यय में धनराशि ₹0 2500.00 लाख (₹0 पच्चीस करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति की धनराशि का संलग्न बी०एम०-9 (भाग-1) प्रपत्रानुसार श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन पुनर्विनियोग की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1. जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
2. जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
3. जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-

ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28.03.2026 एवं समय- समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3 - यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न आर.ई.संख्या-बजट-1-025 दिनांक 04.06.2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्न- बी0एम0-9

Digitally signed by
SUNIL KUMAR VERMA
Date: 05-06-2026
18:41:53

भवदीय

(सुनील कुमार वर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या 35/2026/854 / सत्रह-म-2026 तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
- (2) सम्बंधित मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
- (3) मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।
- (4) सम्बंधित कोषाधिकारी उ0प्र0।
- (5) उप निदेशक मत्स्य (नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0।
- (6) वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
- (7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनु0-3
- (8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार वर्मा)
विशेष सचिव।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A017-20262027-17-1099-55-2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-26 के अन्तर्गत उ०प्र० मत्स्य पालक कल्याण कोष हेतु अनुदान संख्या-17, लेखाशीर्षक: 2405- मछली पालन 800 अन्य व्यय 12- मत्स्य पालक कल्याण फण्ड, 42- अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि रु० 2500.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रु० 2500.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति पुनर्विनियोग के माध्यम से मत्स्य पालक कल्याण कोष से व्यय हेतु नियत लेखाशीर्ष 2405-मछली पालन 800-अन्य व्यय 13- उ०प्र० मत्स्य पालक कल्याण कोष से व्यय के मानक मद 42- अन्य व्यय में अन्तरित /उपलब्ध कराये जाने के सम्बंध में।

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
017	2405008001200 (मत्स्य पालक कल्याण फण्ड)	42 (अन्य व्यय)	25,00,00,000 रुपये पच्चीस करोड़ मात्र	25,00,00,000 रुपये पच्चीस करोड़ मात्र	25,00,00,000 रुपये पच्चीस करोड़ मात्र	2500000000	0.00	2026-2027
कुल					₹ 25,00,00,000	₹ 0		

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
017	2405008001300 (उ.प्र. मत्स्य पालक कल्याण कोष से व्यय)	42 (अन्य व्यय)	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	25,00,00,000 रुपये पच्चीस करोड़ मात्र	2500000000	2510000000	2026-2027
कुल				₹ 25,00,00,000	₹ 0		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1- बचत की जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

2- जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/ उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

संख्या: -2026-27, दिनांक- मई, 2026

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ०प्र० प्रयागराज।

Digitally signed by
SUNIL KUMAR VERMA
Date: 01-06-2026
14:49:37

(सुनील कुमार वर्मा)

विशेष सचिव।

Digitally signed by
RAHUL KUMAR
Date: 03-06-2026
17: (राहुल कुमार)

अनु सचिव।

संख्या: / , दिनांक- मई, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ०प्र० प्रयागराज।
- (2) सम्बंधित मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
- (3) मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
- (4) सम्बंधित कोषाधिकारी उ०प्र०।
- (5) उप निदेशक मत्स्य (नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ०प्र०।
- (6) वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ०प्र० लखनऊ।
- (7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ नियोजन अनु०-3
- (8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(सुनील कुमार वर्मा)
विशेष सचिव।